राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : एफ. 12(1)खा.वि./चीनी/2015– | | जयपुर, दिनांक : 03 .01.2019

समस्त जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को चीनी वितरण के संबंध में।

प्रसंग :– राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 के पत्र कमांक एफ. 21(79)राराखानाआनि/चीनी/आवंटन/2017–18/2140 दिनांक 08.05.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 के प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में राज्य के समस्त अन्त्योदय (AAY) परिवारों (कुल 6,83,623) को वित्तीय वर्ष 2018–19 के चतुर्थ त्रैमास (जनवरी–फरवरी–मार्च) हेतु उप–आवंटन जारी किया जाना है। इस संबंध में निम्नांकित दिशा–निर्देशों के अनुसार उप आवंटन जारी किया जाता है:–

1. माह जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक की चीनी अन्त्योदय परिवारों को निर्धारित पात्रतानुसार प्रति परिवार 01 किग्रा चीनी प्रति माह देय होगी।
2. माह जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक की अवधि का चीनी आवंटन एनआईसी द्वारा निर्मित साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन किया जा रहा है तथा वितरण की समस्त कार्यवाही पॉस मशीनों के माध्यम से संचालित की जाएगी। उचित मूल्य दुकानवार उप–आवंटन राज्य स्तर से ऑनलाईन किया जा रहा है, जिसे जिला रसद अधिकारी द्वारा "Send to PoS" किया जाएगा। उचित मूल्य दुकानों द्वारा चीनी आवंटन पूर्वानुसार पॉस मशीन के माध्यम से किया जाएगा, जो ऑनलाईन परिलक्षित होगा।
3. राज्य स्तर से चीनी का उप–आवंटन एनआईसी सॉफ्टवेयर से ऑनलाईन किया जा रहा है, अतः जिला रसद अधिकारी तुरन्त आवश्यकता अनुसार लिफ्टिंग एवं वितरण सुनिश्चित करें।
4. यह आवंटन चालू वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास (जनवरी, 2019 से मार्च, 2019) हेतु है जो वर्तमान त्रैमास अवधि के 3 माह में उठाव योग्य है। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को अधिकतम 03 किग्रा. चीनी माह जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक देय है। किसी भी स्थिति में लाभार्थी परिवार को 01 किग्रा. चीनी प्रति माह वितरण योग्य है जो वित्तीय वर्ष में अधिकतम 12 किग्रा. से अधिक देय नहीं होगी।
5. अन्त्योदय परिवार चतुर्थ त्रैमास की चीनी एक साथ अर्थात तीन किलो चीनी एक ट्रांजेक्शन के माध्यम से त्रैमास के किसी भी माह में प्राप्त कर सकेगा।

6. अन्त्योदय लाभार्थी द्वारा एक ट्रांजेक्शन से त्रैमास की सम्पूर्ण पात्रतानुसार 03 किग्रा चीनी एक साथ प्राप्त करने के स्थान पर त्रैमास की अवधि में एकाधिक ट्रांजेक्शन के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकेगी। प्रति लाभार्थी परिवार को त्रैमास के कुल आवंटन की सीमा तक ही अधिकतम चीनी देय होगी।

7. वित्तीय वर्ष 2018–19 के चतुर्थ त्रैमास हेतु कुल 1,421.40 मी.टन चीनी का आवंटन उचित मूल्य दुकानवार उपलब्ध अवशेष स्टॉक की मात्रा के आधार पर किया जा रहा है, जो संबंधित उचित मूल्य दुकानों पर ही आपूर्ति योग्य है। जिन उचित मूल्य दुकानों पर त्रैमास की आवश्यकतानुसार चीनी का स्टॉक उपलब्ध है, उनमें आपूर्ति नहीं की जावे। प्रत्येक जिले में उचित मूल्य दुकान का उपलब्ध स्टॉक की सूचना एनआईसी के पोर्टल पर उपलब्ध है।

8. उचित मूल्य दुकानों पर चीनी की आपूर्ति 50 किग्रा. के बैग में की जा रही है, अतः उचित मूल्य दुकानवार चीनी का आवंटन 50 के गुणांक में किया जाए।

9. सभी जिलों में उचित मूल्य दुकानदारों के पास चीनी के स्टॉक की उपलब्धता एवं उनको किये गये उप–आवंटन के आधार पर आवश्यक मात्रा को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम क्रय विक्रय सहकारी समितियों/भण्डारों की चीनी से आपूर्ति की जावे। सहकारी समितियों/भण्डारों की चीनी समाप्त होने पर ही निगम अपने गोदामों से उचित मूल्य दुकानों को चीनी आपूर्ति कर अन्त्योदय परिवारों को उपलब्ध करवायेंगे।

10. जिला रसद अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अपने जिले से संबंधित उचित मूल्य के दुकानदारों एवं सहकारी समिति/भण्डार के पास उपलब्ध चीनी का स्टॉक सही गुणवत्ता का होने पर वितरण करायेंगे।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार की संशोधित नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी वितरण की पात्रता मात्र अन्त्योदय अन्न परिवारों की है। किसी भी अन्य श्रेणी को यह आवटंन देय नहीं है।

12. जिला रसद अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि चीनी का उप–आवंटन ऐसी उचित मूल्य दुकानों पर ही अनुमत है, जिनमें अन्त्योदय अन्य योजना के लाभार्थी रजिस्टर्ड (कुल 23,860 उ.मू.दु.) हैं। जिलेवार ऐसी दुकानें जो AAY हेतु मैप नहीं हैं, उनमें चीनी का उप–आवंटन करणीय नहीं है। किसी भी जिले द्वारा Non-AAY दुकान को चीनी का उप–आवंटन किए जाने पर संबंधित का व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित किया जाएगा।

13. उक्तानुसार वितरण हेतु चीनी की दर विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 40(2)खा.ले./नीति/चीनी/2015–16 दिनांक 29.11.2017 के अनुसार प्रति किग्रा 24.50/– रूपये की दर प्रभावी होगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 01/18.

(अंजू राजपाल)
उपायुक्त (प्रथम)

क्रमांक : एफ. 12(1)खा.वि. / चीनी / 2015-।। जयपुर, दिनांक : 03.01.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राज0, जयपुर।
4. महाप्रबंधक (वित्त), राज0 राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ. 21(79) राराखानाआनि / चीनी / आवंटन / 2017-18 / 2140 दिनांक 08.05.2018 के क्रम में।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार चतुर्थ त्रैमास (जनवरी-फरवरी-मार्च) हेतु पॉस मशीन के माध्यम से वितरण के लिए पात्र परिवारों (अन्त्योदय अन्न लाभार्थियों) हेतु प्रति परिवार 03 किग्रा चीनी त्रैमास अवधि में एक अथवा एकाधिक ट्रांजेक्शन वितरण का ऑप्शन एक्टिवेट करावें।
6. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समस्त जिला रसद अधिकारीगण के माध्यम से प्राप्त जिलेवार उप-आवंटन को विभागीय पोर्टल पर डालना सुनिश्चित करावें।
7. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त (प्रथम)

Sugar allotment for the month of Jan-19 to Mar-19

Date:-01 .09.2018

Sr. No.	District	Total No. of Sugar FPS	AAY DRC	AAY Entitlement (K.G.)	Opening Balance (K.G.)	Final Allotment (M.T.)	No. of Bags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)*3	(6)	(7)	(8)
1	Ajmer	924	21572	64,716.00	1,232,422.98	22.60	452
2	Alwar	1208	22610	67,830.00	1,294,565.07	57.35	1147
3	Banswara	645	48425	145,275.00	377,432.32	115.05	2301
4	Baran	591	51152	153,456.00	913,976.52	82.30	1646
5	Barmer	1042	24577	73,731.00	5,227,407.39	50.45	1009
6	Bharatpur	967	17203	51,609.00	796,483.86	51.45	1029
7	Bhilwara	826	27975	83,925.00	444,369.94	20.15	403
8	Bikaner	734	12729	38,187.00	589,131.37	38.65	773
9	Bundi	447	13608	40,824.00	407,666.88	20.40	408
10	Chittaurgarh	669	32672	98,016.00	319,386.01	46.60	932
11	Churu	895	24509	73,527.00	448,908.84	44.10	882
12	Dausa	763	11222	33,666.00	306,379.46	24.70	494
13	Dhaulpur	443	9830	29,490.00	1,060,366.39	27.60	552
14	Dungarpur	561	33796	101,388.00	333,947.10	84.80	1696
15	Ganganagar	762	12592	37,776.00	266,616.06	42.55	851
16	Hanumangarh	657	14652	43,956.00	290,676.30	20.85	417
17	Jaipur	1196	14601	43,803.00	995,109.81	35.90	718
18	Jaisalmer	314	6604	19,812.00	355,143.35	11.55	231
19	Jalor	616	23491	70,473.00	415,389.14	49.40	988
20	Jhalawar	614	17440	52,320.00	375,175.26	44.90	898
21	Jhunjhunun	709	9660	28,980.00	656,868.52	32.05	641
22	Jodhpur	969	9579	28,737.00	562,512.77	33.25	665
23	Karauli	550	18388	55,164.00	251,725.31	25.00	500
24	Kota	488	11328	33,984.00	770,981.80	31.40	628
25	Nagaur	1225	18063	54,189.00	409,131.88	61.95	1239
26	Pali	738	20714	62,142.00	1,438,808.80	35.10	702
27	Pratapgarh	352	15324	45,972.00	536,266.18	25.85	517
28	Rajsamand	511	20689	62,067.00	370,876.45	48.95	979
29	Sawai Madhopur	585	16730	50,190.00	444,943.81	37.35	747
30	Sikar	826	9314	27,942.00	711,667.83	22.05	441
31	Sirohi	420	11452	34,356.00	2,374,133.88	23.70	474
32	Tonk	559	18663	55,989.00	1,668,509.76	40.40	808
33	Udaipur	1054	62459	187,377.00	1,790,594.14	113.00	2260
	Total	**23,860**	**683,623**	**2,050,869.00**	**28,437,575.16**	**1,421.40**	**28428**

Disclaimer: The report generated is based on the data fed/entered/supplied from multiple sources by the field functionaries workin in workflow based environment. Responsibility of authenticity and accuracy of the data lies at the source of the data. The data as per the report may be coorelated with official records. Any thing contained in this document would not lead to any legal claim on part of a individual for any purpose.

08/01/18

अंजू राजपाल

उपायुक्त एवं [illegible]